कार्यालय उप जिलाधिकारी, कंपकीट अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत उपड्लार व भनार होना कि अप्तर्गत किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील का पठार) की दिनांक 28 न ना को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

1- श्री केंद्रा श सिंह दो लिया उपाजिलाधिकारी - अध्यक्ष 2- श्री दार्थ प्रभागीय वनाधिकारी वा अधिकारी सदस्य 3- श्री का लिया प्रभागीय कल्याण अधिकारी का स्मानिक सादस्य 4- श्री की लिया कि बीठडीठसीठ क्षेत्र का ना विकास खण्ड का को स्पर्स सार्थ

जपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

प्णडलेखं अनार् डाना टिकटा मोर्स्मार्ज क्रानिमीठा -0418मी

्या भि वि कपकोट

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिखत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, जारे वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सहायक आमयन्ता निर्माण रखड स्रोकितिव कपकोट

उन असीति व्यक्तिक

भूमि

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड के अन्तर्गत
परियोजना के निर्माण हेतु 1,7150
हो वन भूमि परियोजना एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील— कप्रकाट जनपद कार्यावर्ति

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, वागे व्याप्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील— <u>अपकार</u> जनपद <u>छम्मोञ्</u>य

क्रिक्ट क्षेत्र क्षेत

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापितत प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम के नी र तहसील कप्रकृष्ट जिला का राष्ट्रवर

अनापितत प्रमाण पत्र जिला का में श्वास खण्ड में जिला के कार्त गत रवड़लेख भेगार रिकटा यारा कार आग परियोजना के निर्माण हेतु (-है0 आरक्षित वन भूमि, डिट्ट है0 सिविल सोयम भूमि थे0 है0, वन पंचायत भूमि । 6 10 है0) अर्थात कुल 1:75° है0 वन भूमि का की निमान विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत अनार हारा दिनांक 8.8.14.को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भृमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य हैं अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गरा कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेत् आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम अनार के ग्रामदासियों को उक्त वन भूमि विकास प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतू दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्या एवं सही है।

1.13

60/-/ माण गाम सचिव

र्जन पंजायत टिकटा भनार ाः पाठ-लाची जिला-बागेश्वर

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

Photo Copy allested सहायक अभियन्ता निर्माण, खड मोगनिएवि कपकीत

विवखानप्रम्यः ८, ५१०-बागेश्वर



दिनांक ४. ८. २०। ५को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत अनार

कमांक	्रग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम्वासियों के नाम	्र हस्ताक्षर
1	श्री रतनारिष्ट पुत्र धी दीवान सिंध मनार टिक	21 27-12/8
2	मी चंचलित्र नल की निनादिश -10	1
3	मी नेनाहरी एवं भी उपालिहरी	वैताष्ट
4	की माहनांदार अल की विश्वनांदाह	IN ENTINE
5	बी उम्मदासि पूला हमाता सिरी	3742 HE
6	म सानद्विए प्रत ह्यालासिह	3-11-19 रहार
7	जीमती चम्पादेवी पत्नी माहनाति १	-राम्या क्षा
8	बीम्ली भगानीरेवी पत्नी व्याणका निर	भवनी देखी
9	के महाकारिश यून निमानि	मिलक निष्ट
10	ब्री मानिक द्वार नापिक	मानसह
11	ही दानिश पुल उच्हें पासिष्ठ	गुल । सह
12	जा रतनिश पत उड़ीरिश	Don
13	A EX-47 181 " 331m148	82-401 8
14	A -5-5-11218 " 2-117-18	Ja (
15.	बी माहनाये हा गायामारी	Mrenza
16	W TAMONTOS SA MONTOS	A: di \$ 125
17	2001 198 8 M M 1278	(d M)
19	a Maria	THE WING
29	218 4101118 8 7-1168	777
20	जिस्माल सिंह कारी सावनार्व	JE1190

श्रेत. पंठ विवासिक्षा प्रमाद, पाए-पागे स्वर

वन पंचायत टिकटा भनार गो0-लाथी जिला-बागेरवर

सहायक अभियन्ता निर्माण खड न्तितिव कपकार

Photo City Allester

अपरीवत् भाम पं चामता में स्वामं भर बारा अना पाल प्रभाग पद में ग्राम वासिमा की सहमाध हो की हर्द्धाश्चर सहस्य वर्मन में कोई आपाली नहीं है

> COPWD KAPILOT





ANNEXURA-1

Office of the Deputy Commissioner District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date......2.15......at time.31%...at Bageshwar in which application claiming rights in Dana Tikta area measuring 1.750 heet for the Construction of Khadlekh Bhanar Dana Tikta motor road (4.00km) of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Dated:

शिक प्रिवीक्टिंग सहायक अभियन्ता निर्माण खड

Deputy Commissioner Chairman
District Level Committe

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE



परियोजना का नाम :— जिला योजना के अन्तर्गत खडलेख--भनार—डाना—टिकटा (4.00 किमी) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत खडलेख—भनार—डाना—टिकटा (4.00 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 1.750 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण—पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति / वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

प्रिक्त क्षेत्र वीर्ट्स के क्षित्र का क्षेत्र का कार्य का का कार्य का का कार्य का का कार्य क

जिलाधिकारी बागेश्वर परियोजना का नाम :— जिला योजना के अन्तर्गत खडलेख—भनार—डाना—टिकटा (4.00 किमी) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत खडलेख—भनार—डाना—टिकटा (4.00 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 1.750 है0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11—9/98—एफ०सी० दिनांक 05—02—2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा—सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

Photo City attested

सहायक अभियन्ता निर्माण खड स्टेनिएविं कपकोट जिलाधिकारी। आवना

Form-1 (for liner project) Government of Uttarakhand Office of the District Collector Bageshwer

N0	Dated!! 2-15
110	Duicu

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.750 hectares of forest and proposed to be diverted in favor of Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Khadlekh-Bhanar-Dana-Tikta motor road in distt Bageshwer district falls within It is further certified that:-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.750 hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure-to annexure.....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Governent as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent it;.....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. Certificate prescribed in form 23-4 attached.

Enclosed- as above

Dated

सहायक अपियंक्ता निर्माण खड भोगनिएविश कपकोट

Signature

(Bhupal Singh Moul)

District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector

Form-II

(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwer

V0	Dated

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having
initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest
Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non
forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear
projects, it is certified that 1.750 hectares of forest and proposed to be diverted in favor of Construction Division
Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Khadlekh-BhanarDana-Tikta motor road in distt-Bageshwer.

It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.750 hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure.......to annexure.......
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: YES
- The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of Dana Tikta Village (s) is enclosed as annexure.......
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: NA

Encl: As above

सहायक अभियन्ता निर्माण खड

Bhupal Singh Manral
District Collector

Bageshwar

रिका मिनायं।

जिलाधिकारी है

बागेश्वर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला योजना के अन्तर्गत खडलेख—भनार—डाना—टिकटा (4.00 किमी) नव निर्माण में स्थानीय काश्तकारों की जितनी नापभूमि सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उस भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर भुगतान लोक निर्माण विभाग करेगा। यदि भू—स्वामी उपलब्ध न हो तो उस दशा में उनके आश्रितों को नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर मुआवजा काश्तकारों को विभाग द्वारा वितरित किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता अधिशासी खामिकन्ति०, कपकोट निर्माण खण्ड, लीठमिठवि०, कपकोट

प्रिक्ट क्षेत्र दी हरिये भहायक अभियन्ता निर्माण खड